पूर्ण पीठ

समक्ष एस. एस. संधवालिया, मुख्य न्यायाधीश बी. एस. ढिल्लन और न्यायमूर्ति आर. एन. मित्तल।

हरि महल अम्बाला शहर,- याचिकाकर्ता।

बनाम

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय और दूसरा,-उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका संख्या **1977** की **3521,**

2 अप्रैल, **1979.**

औद्योगिक विवाद अधिनियम ***(1947*** का ***14)-***धारा ***7*** और ***10 (1)*** दूसरी अनुसूची, मद ***3-***अमान्य ठहराए गए कामगार की सेवाओं की समाप्ति-कामगार को बहाल करने का निर्देश-मजदूरी का अनुदान-मानदंड में कहा गया है-जबरन आलस्य की अवधि के दौरान कामगार का लाभकारी रोजगार- सबूत की जिम्मेदारी-चाहे वह नियोक्ता पर हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि साधारणतया एक कर्मकार जिसकी सेवा अवैध रूप से समाप्त कर दी गई है, पूर्ण वेतन पाने का हकदार होगा सिवाय उस सीमा के जब तक कि वह लागू की गई आलस्य के दौरान लाभकारी रूप से नियोजित था। यह सामान्य नियम है और इसका विरोध करने वाले पक्ष को प्रस्थान की आवश्यकता वाली परिस्थितियों को स्थापित करना चाहिए।(पैरा 6).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन याचिका यह प्रार्थना करती है कि याचिका स्वीकार की जाए, मामले के अभिलेख भेजे जाएं और;

(क) आक्षेपित अधिनिर्णय अनुलग्नक पृ. 9 को निरस्त करते हुए सर्टिओरारी की प्रकृति का रिट जारी किया जाए।

(ख) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया गया जो इस माननीय न्यायालय को मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित लगता है।

(ग) प्रस्ताव की सूचना की सेवाएं क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 आक्षेपित पुरस्कार को लागू करने की मांग कर रहा है;

(घ) अनुलग्नक पी 1 से पी 9 की प्रमाणित/मूल प्रतियों को दाखिल करना;

(ङ) रिट याचिका का अंतिम निपटान होने तक आक्षेपित पुरस्कार का संचालन रोक दिया गया; और

(च) याचिकाकर्ता को दी गई लागत।

(छ) अनुलग्नक पृष्ठ 9 की टाइप की गई प्रति दाखिल करने से छूट दी जाएगी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एन. के. सोढ़ी ।

एम एस लिब्रहान, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

निर्णय

एस. एस. संधवालिया, मुख्य न्यायाधीश:-

(1) औद्योगिक विधि के अधीन किसी कर्मकार को पूर्ण वेतन प्रदान करने के लिए कौन-से मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए, जब उसकी सेवाओं की समाप्ति को श्रम न्यायालय द्वारा अमान्य ठहराया जाता है और उसे बहाली के लिए राहत दी जाती है, एकमात्र, यद्यपि महत्वपूर्ण, प्रश्न है जिसने इन दो संबद्ध रिट याचिकाओं (1977 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3521-हरि पैलेस, अंबाला सिटी, बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, आदि और 1978 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4414-धरम पॉल चड्ढा बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, आदि) को पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए स्वीकार करना आवश्यक बना दिया था।

2. शुरू में ही यह इस बात पर प्रकाश डालने योग्य है कि यह मामला अंतिम न्यायालय के हाल के एक निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है कि सिद्धांत या पूर्ववर्ती के संबंध में मुद्दे को विस्तृत करना स्पष्ट रूप से व्यर्थ होगा। इसलिए, 1977 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3521-हरि पैलेस बनाम पीठासीन अधिकारी, आदि में अभिकथनों का एक संक्षिप्त संदर्भ उपरोक्त कानूनी मुद्दे को जन्म देने वाली आवश्यक पृष्ठभूमि देने के लिए पर्याप्त होगा।

3. याचिकाकर्ता फर्म का दावा है कि उनके कर्मचारी-प्रतिवादी नंबर 2, श्री वलीती राम ने अपनी मर्जी से नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, जिसे विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि, लगभग दो सप्ताह

इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 पर आरोप है कि उसने इस दलील पर बहाली की मांग की थी कि उसकी सेवाओं को 18 अक्टूबर, 1975 को अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया था। एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था, जिसका निर्णय श्रम न्यायालय के संदर्भ में प्रतिवादी-श्रमिक के पक्ष में किया गया था। श्रम न्यायालय द्वारा 7 अप्रैल, 1977 के अपने आदेश के अनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कामगार का कथित त्यागपत्र एक वास्तविक दस्तावेज नहीं था और उसकी सेवाओं की समाप्ति अनुचित थी। तदनुसार इसने कामगार को सेवा की निरंतरता के साथ 18 अक्टूबर 1975 से प्रभावी बहाली की राहत की अनुमति दी और उक्त तिथि से पूर्ण वेतन भी प्रदान किया।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्री एन. के. सोढ़ी बहुत निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि एकमात्र बिंदु जो वर्तमान मामले में निर्धारण की मांग करता है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी-श्रमिक को पूर्ण मजदूरी का अनुदान, उसके लिए एक विशिष्ट दावा किए बिना या उसके समर्थन में पर्याप्त सबूत से भागकर, कानूनी रूप से टिकाऊ है। यह बताया गया कि श्रम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर कोई विशिष्ट मुद्दा नहीं बनाया गया था। मूल रूप से विद्वान वकील का भरोसा बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले पर था, जो सदानंद पटनाकर बनाम एम/एस में रिपोर्ट किया गया था। न्यू प्रभात मिल्स नंबर 2,

बॉम्बे, वगैरह (1) वकील ने आगे तर्क दिया कि उक्त उच्च न्यायालय में हमेशा उपरोक्त निर्णय के अनुरूप एक दृष्टिकोण लिया गया है।

5 इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहले इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुछ मतभेद रहे हैं। विभिन्न विचार व्यक्त किए गए थे कि मजदूरी वापस करने के दावे के संबंध में और मुद्दों के हड़ताली या स्वयं श्रम न्यायालय द्वारा इसके निर्धारण के लिए आवश्यक बिंदु के संबंध में भी सटीक रूप से जिम्मेदारी कहाँ है। इस न्यायालय के भीतर, दलजीत एंड को प्राइवेट लिमिटेड रुपार बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2) मामले में एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि बर्खास्त कर्मचारी को सेवा की निरंतरता के साथ बहाल किया जाता है, सामान्य राहत बर्खास्तगी की तारीख से पूर्ण मजदूरी का भुगतान होगा, और यह मामला उठाने और यह साबित करने के लिए नियोक्ता का काम है कि कर्मचारी विचाराधीन अवधि के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए मजदूरी अर्जित कर रहा था। उपर्युक्त दृष्टिकोण का इस न्यायालय में लगातार पालन किया गया है और इसकी पुष्टि हरबंस सिंह और अन्य बनाम सहायक श्रम आयुक्त और अन्य में की गई है। (3). इलाहाबाद उच्च न्यायालय पोस्टल सील्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम लेबर कोर्ट, लखनऊ, (4) में इसी तरह का दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक था और वही अवधि धारी ग्राम पंचायत बनाम सफाई कामदार मंडल में गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय है। (5).

6. तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि अब सभी विवाद उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपतियों द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान टिन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, बनाम मेसर्स हिंदुस्तान टिन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी और अन्य (6) मामले में समाप्त कर दिए गए हैं, जिसमें विशेष अनुमति द्वारा की गई अपील स्पष्ट रूप से पिछले वेतन के अनुदान के प्रश्न तक सीमित थी। इसमें यह बिना किसी अनिश्चित शर्त के अभिनिर्धारित किया गया हैः "सामान्य रूप से, इसलिए, एक कर्मचारी जिसकी सेवा को अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया है, वह पूर्ण वेतन का हकदार होगा, सिवाय उस सीमा के जब वह लागू आलस्य के दौरान लाभकारी रूप से कार्यरत था। यही सामान्य नियम है। कोई अन्य दृष्टिकोण नियोक्ता की अनुचित मुकदमेबाजी गतिविधि पर एक प्रीमियम होगा।

और फिर सेः "पूर्ण वेतन सामान्य नियम होगा और इसका विरोध करने वाले पक्ष को प्रस्थान की आवश्यकता वाली परिस्थितियों को स्थापित करना चाहिए।"

उपरोक्त दृष्टिकोण को जी टी लाड और अन्य बनाम केमिकल्स एंड फाइबर इंडिया लिमिटेड में उनके लॉर्डशिप्स द्वारा दोहराया गया है (7).

7. विधि के पूर्वोक्त प्रतिपादन को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि मामला अब याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1977 के सी डब्ल्यूपी संख्या 3521 में समाप्त हो गया है। तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, लेकिन पक्षों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

8. 1978 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4414 में उठाया गया एकमात्र अतिरिक्त बिंदु यह था कि श्रम न्यायालय ने स्वयं को गलत दिशा दी थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में साक्ष्य की गलत सराहना की थी कि प्रतिवादी-कर्मचारी बहाली का हकदार था। हमने पीठासीन अधिकारी के आदेश का बारीकी से अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने सभी को निर्देश दिया है 1979 श्रम और औद्योगिक मामले 298 एक सुविचारित निष्कर्ष पर आने के लिए सुसंगत साक्ष्य कि प्रबंधन ने कामगार की सेवाओं को अचानक समाप्त कर दिया था और वास्तव में उसने कभी भी कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थिति द्वारा अपना पद नहीं छोड़ा जैसा कि प्रबंधन द्वारा आरोप लगाया गया है। अन्यथा भी यह प्रमाण है कि वर्तमान मामले में यह निष्कर्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्राप्त तथ्यों में से एक प्रतीत होता है। साक्ष्य के आधार पर श्रम न्यायालय

द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्ष को आसानी से बाधित करना रिट न्यायालय का प्रांत नहीं है। इसलिए यह रिट याचिका भी आधारहीन है और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ कर खारिज कर दी जाती है।

भूपिंदर सिंह झिल्लों, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ।

(1) 1975 (1) श्रम और औद्योगिक मामले 457

(2) ए आई आर 1964-पंजाब पृष्ठ 313।

(3) 1976 पंजाब लॉ रिपोर्टर 221.

(4) (1971) श्रम कानून जर्नल 327।

(5) (1971) 1 श्रम विधि जर्नल 508.

(6) ए आई आर 1979 एस सी 75।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा